**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 (पी0ए0) ऐक्ट, सुलतानपुर**

विशेष सत्र परीक्षण सं0 1544 / 2023

राज्य––––––––––बनाम––––––––––वासदेव सिंह आदि

**दि0 01–01–2025**

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकारण में बनाये गये मुल्जिमान में से वासदेव सिंह पुत्र रामनरायन सिंह का देहान्त हो चुका हैं, जिनकी मृत्यु आख्या, प्रधान द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उत्तर प्रदश सरकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र पत्रावली पर थाने द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसलिए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा अबेट करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा म मु०अ०सं० 642 / 2003, धारा 323,504,506 भा0द0स0 व 3(1)10 एस० सी० / एस० टी०एक्ट में अभियुक्तगण वासदेव सिंह, माता प्रसाद उर्फ छेदी सिंह, विकास कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह एवं राकेश कुमार सिंह उर्फ केतू सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें से अभियुक्त वासदेव सिंह पुत्र रामनरायन सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जो थाने की मृत्यु आख्या व प्रधान द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शासन द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। अतः हस्तगत मामले में अभियुक्त वासदेव सिंह पुत्र रामनरायन सिंह की मृत्यु होने के कारण उसके विरूद्ध विचारण की कार्यवाही उपशमित किये जाने योग्य है। तदनुसार अभियुत वासदेव सिंह पुत्र रामनरायन सिंह के विरूद्ध दाण्डिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है तथा शेष अभियुक्त का विचारण पूर्ववत जारी रहेगा।

Sd/-
विशेष न्यायाधीश,
एस०सी० / एस०टी० (पी०ए०) ऐक्ट,
सुलतानपुर ।